अपीलीय अधिकारी एवं संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004 (म.प्र.)

क्र. सूअप्र/ संतशि/ 10/
भोपाल दिनांक :

श्री प्रशांत सेन,तीन गुल्ली चौराहा, दमोह
राधा स्वामी दाल मिल के सामने दमोह,
तहसील व जिला दमोह (म.प्र.) आवेदक /अपीलार्थी

विरूद्ध

लोक सूचना अधिकारी
शासकीय पोली.महा. दमोह–म.प्र. अनावेदक/ प्रतिअपीलार्थी

प्रथम अपील सुनवाई दिनांक 04.10.2010
(श्री प्रशांत सेन, दमोह –म.प्र)

आवेदक/अपीलार्थी उपस्थित ।

अनावेदक/प्रति अपीलार्थी (लोक सूचना अधिकारी, प्राचार्य पोली.महा. दमोह) अनुपस्थित.

अपील के मुख्य बिंदु

अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी, पोली.महा. दमोह को प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थी । आवेदक के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे अपूर्ण, भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिस कारण उसके द्वारा अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई हैं । आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई मेरे द्वारा दिनांक 16.08.2010 को की गई जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित थे ।

अपील में पारित निर्णय अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने भी उनके पत्र दिनांक 31.08.2010 द्वारा उनके कार्यालय से संबंधित जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी है । आवेदक ने जानकारी प्राप्त होने के उपरांत भी पुनः यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है ***कि प्राचार्य ने उनके पत्र दिनांक 30.07.2010 की कंडिका –1 में यह उल्लेख किया है कि भर्ती प्रकिया में शिकायतें एवं अनियमितता होने के कारण प्रक्रिया स्थगित की गई, कृपया बताएं कि किस स्तर पर और किसके द्वारा अनियमितता की गई एवं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?***

निणर्य

1. आवेदक/अपीलार्थी को अपील में पारित निर्णय अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने यथासंभव जानकारी उपलब्ध करा दी है एवं आवेदक यदि प्रथम अपील के निर्णय के पालन में की गई कार्यवाही के कियान्वयन से असंतुष्ट है तो उसके द्वारा द्वितीय अपील राज्य सूचना में की जाना चाहिए इसलिए यह अपील प्रथम दृष्‌या ही सुनवाई योग्य न होकर निरस्त होने योग्य है ।

..2..

2. सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (f) सूचना की परिभाषा अनुसार आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त करने के स्थान पर कार्यवाही की मांग की गई है जो सूचना की परिभाषा में नहीं आती इसलिए अपील निरस्त होने योग्य है ।

3. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है ।

4. उपरोक्त से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	समय–सीमा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011(म.प्र.)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
भोपाल–म.प्र.

पृष्ठा. क्र. सूअप्र/संतशि/10/545 भोपाल दिनांक 8/10/10

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. श्री प्रशांत सेन,तीन गुल्ली चौराहा, राधा स्वामी दाल मिल के सामने दमोह, तहसील व जिला दमोह (म.प्र.) ।
2. लोक सूचना अधिकारी, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
3. वरिष्ठ निज सहायक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
4. श्री देवेंद्र मालवीय, स्टेनोग्राफर, तकनीकी शिक्षा, भोपाल ।
5. कम्प्यूटर शाखा, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
भोपाल–म.प्र.